महिला परिवहन कर्मचारियों के अधिकार और कोविड-19

लैंगिक समानता एक नया सामान्य - विचारधारा के साथ एकजुट समस्त परिवहन कर्मचारी

परिवहन उद्योग लैंगिक असमानता से ग्रस्त है, जबकि सभी परिवहन कर्मचारी गंभीर रूप से कोविड-19 से ग्रस्त हैं, लेकिन महिला परिवहन कर्मचारियों के लिए विशिष्ट और अतिरिक्त प्रभाव होंगे।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने भी इस बात को मान्यता दी है कि इस संकट में उत्पन चुनौतियों में लैंगिक असमानता को और तीव्र बनाने की क्षमता है | इससे बचने के लिए, यह अनिवार्य है कि परिवहन उद्योग - जिसमें नियोक्ता, सरकारें, निवेशक और यूनियन शामिल हैं - एक लैंगिक अनुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करे ताकि असमानताएं पुन: उत्पन्न, निरंतर या तीव्र ना हों।

आईटीएफ ने कोविड -19 प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए नियोक्ताओं, सरकारों और निवेशकों के सामने महिला परिवहन कर्मचारियों के लिए प्रमुख माँगो को चिन्हित किया है:

1. **सभी निर्णय लेने वाली समितियों में महिलाएँ शामिल**
2. **आय और सामाजिक संरक्षण**
3. **स्वच्छता और उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) तक पहुंच**
4. **सुरक्षित रोज़गार**
5. **लाभ से पहले देखभाल**
6. **महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न समाप्त हो**
7. **नवीन टेक्नोलॉजी से महिला कर्मचारियों को लाभ**
8. **लिंग प्रभाव आकलन**
9. **लिंग-उत्तरदायी आर्थिक प्रोत्साहन**

इन प्राथमिक क्षेत्रों पर यूनियनों के साथ मिल कर बातचीत करनी चाहिए, बशर्ते महिलाएं और अन्य प्रभावशाली पक्ष अपनी प्रभावन क्षमता का उपयोग करते हुए आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित कर सकें।

महिला परिवहन कर्मचारी एक गर्वित कार्यबल का हिस्सा हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है तथा जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़कर दुनिया को गतिमान रखती है।

वे चालक, परिचालक, टिकट विक्रेता, सहायक उड़ान दल, विमान-चालक, गोदी कर्मचारी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले मल्लाह हैं, जो कि वैश्विक महामारी का मुँह-तोड़ जवाब दे रहे हैं। परदे के पीछे या कम दिखाई देने वाले कर्मचारी जो परिवहन प्रणालियों को चलाने में मदद करते हैं तथा महत्वपूर्ण विभाग जैसे रखरखाव, सुरक्षा, सफाई और प्रशासन का हिस्सा हैं ।

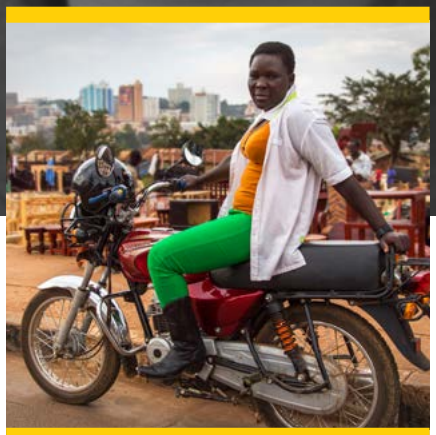

लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण की मांग एक सभ्य कार्यस्थल के संघर्ष में सभी को लाभान्वित करेगी

परिवहन उद्योग स्वाभाविक तौर पर लिंग अनुसार कार्यों को विभाजित करता है, परिणामस्वरूप महिलाएं उन कार्यों पर तैनात हैं जहाँ संक्रमण का खतरा बहुत अधिक है, जैसे कि साफ-सफाई और ग्राहक-सामना की भूमिकाएँ। बड़ा हुआ संक्रमण का खतरा और अपर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) इस तथ्य को दर्शाता है की महिला कर्मचारी कोरोनावायरस के खतरों का सामना ज़्यादा कर रही हैं, और कोरोनावायरस के नकारात्मक खतरों को विषम रूप से झेल रही हैं।

पहले से ही हमने भारी संख्या में महिला परिवहन कर्मचारियों को गंभीर रूप से प्रभावित देखा है, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों और क्रूज उद्योग में काम करने वाले, विमानन और अनौपचारिक परिवहन कर्मचारियों को।

आईएलओ सिफारिश 205, यह मांग करता है कि संकट प्रतिक्रिया के दौरान लैंगिक परिप्रेक्ष्य, लिंग-समावेशी सामाजिक संवाद, और लैंगिक समानता तथा स्वस्थ्य-लाभ को सक्षम करने के लिए महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है।

ट्रेड यूनियनों के रूप में यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस संकट के दौरान महिलाओं की रक्षा की जाए और उनके अधिकारों को मजबूत और प्रबल किया जाए ।

कोविड -19 के बाद, हम "पुराने सामान्य" पर वापस नहीं जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि महिला परिवहन कर्मचारियों को सामाजिक असुरक्षा और अनिश्चित रोजगार में अत्यधिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और निर्णय लेने में कम प्रतिनिधित्व, काम और घर पर हिंसा और स्वच्छता तिरस्कार का सामना करते रहना पड़ेगा। यह कतई सामान्य नहीं है।

इसके बजाय, हमारे पास यह सुनिश्चित करने का अवसर है कि जैसे ही हम इस संकट से उभरें, "लैंगिक समानता - एक नया सामान्य" की स्थापना करें जो सभी कामगारों के लिए अच्छी नौकरियाँ सुनिश्चित करे।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र - महिला परिवहन कर्मचारियों केअधिकारों की रक्षा और वृद्धि

सभी निर्णय लेने वाली संस्थाओं पर महिलाएँ

महिलाओं के बिना, निर्णय लेने वाले संगठन, विश्लेषण, रणनीति और नीतियाँ उन मुद्दों का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं कर पाएंगी जिनका सामना महिलाएं करती हैं।

आईटीएफ आह्वान करता है नियोक्ताओं और सरकारों का:

- सुनिश्चित करें कि महिलाओं को हमेशा सभी निर्णय लेने वाली समितियों में शामिल किया जाए।
- लैंगिक समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि निगरानी और सूचना एकत्र करने की प्रणाली में नीति सलाह प्रक्रियाओं में निर्णय **संयुक्त राष्ट्र महिला, आईएलओ, यूनिसेफ** की सिफारिशों के अधीन हो।

आय और सामाजिक सुरक्षा

आय समर्थन सभी महिला कर्मचारियों के लिए होना चाहिए - जिसमें प्रवासी, अनिश्चित, अनौपचारिक कामगारों और रोजगार के गैर-मानक रूप (जैसे अंशकालिक, आउटसोर्स, "गिग श्रमिक" - जैसे कि स्वतंत्र ठेकेदार या स्वतंत्र श्रमिक) सम्मलित हों।

नियोक्ताओं और सरकारों को निम्नलिखित प्रदान करना चाहिए:

- उन सभी कामगारों के लिए आय संरक्षण जो अपनी नौकरी खो देते हैं या अस्थायी रूप से कविड19- से प्रभावित होते हैं।
- वैतनिक अवकाश का भुगतान उन सभी कर्मचारियों - जिसमें रोजगार के सभी गैर मानक रूप भी शामिल हों, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संक्रमण, अलगाव, परिवार या बच्चे की देखभाल दायित्वों के कारण कोविड 19- से प्रभावित हैं।
- गर्भवती श्रमिकों और नई माताओं सहित कमजोर और जोखिम वाले श्रमिकों (और परिवार के सदस्यों) के लिए आय संरक्षण के साथ कार्य अनुसूचियों में समायोजन का होना एवं संक्रमण से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय।
- व्यापक बेरोजगारी भत्ता, राहत पैकेज, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों के लिए जिसमें अनौपचारिक श्रमिक और रोजगार के गैर-मानक रूप भी शामिल हैं।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कोष** की तत्काल स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मध्यम आय वाले देशों की सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को काम करने के लिए आंशिक सहायता प्रदान करने हेतु और साथ ही 28 सबसे गरीब देशों के लिए सामाजिक सुरक्षा का न्यूनतम स्तर स्थापित करने में योग्यदान।

स्वच्छता और उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तक पहुंच

कोविड19- की जंग में स्वच्छ सुविधाएँ, स्वच्छ शौचालय, सेनिटाइज़र, स्वच्छ पेय जल तक पहुँच परिवहन श्रमिकों के लिए एक प्रमुख मुद्दा था और अब निर्णायक बन गया है।

नियोक्ताओं और सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

- परिवहन कर्मचारियों को सभ्य स्वच्छता सुविधाएँ और कार्य दौरान पर्याप्त विराम तक सुरक्षित पहुंच -बिना दंड के, और ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई सार्वजनिक स्थान बंद हो गए हैं।
- कार्यस्थलों में सख्त और नियमित सफाई और स्वच्छता प्रक्रियाएं, जो समावेशी हों परिवहन कर्मचारी के मौजूदा स्वास्थ स्थिति जैसे मासिक धर्म, गर्भावस्था, विकलांगता, रजोनिवृत्ति और पहले से मौजूद विशिष्ट स्वास्थ्य हालात।

निवारक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को विकसित करने और लागू करने में महिलाओं को हिस्सा लेना चाहिए, जिनमें शामिल हैं:

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और वर्दियां जो महिलाओं के शरीर के लिए उपयुक्त हों।
- मास्क, दस्ताने, हाथ सैनिटाइजर और/या पानी और साबुन सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का प्रावधान उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिनके कार्यों में आवश्यकता होती है ।
- कार्यस्थल की ऐसी परिस्थितियों का निर्माण जहाँ संक्रमण का खतरा कम हो और सुविधाजनक सामाजिक अलगाव हो। ऐसा दृष्टिकोण जो लैंगिक समावेशी और उत्तरदायी हो।

सुरक्षित रोज़गार

अनिश्चित अनौपचारिक काम और रोजगार के गैर मानक रूपों का बढ़ता प्रतिनिधित्व का मतलब है महिलाओं की छंटनी और वे भी बिना किसी आय संरक्षण के, इसका खतरा बहुत बड़ गया है। अनौपचारिक परिवहन कर्मचारी अपने स्वस्थ्य को जोखिम में और अधिकारीयों से सजा लेते हुए अपनी दैनिक मजदूरी अर्जित और काम जारी रखने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रवासी महिलाओं को भी कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति में कोई रोजगार नहीं है ।

यूनियनों के साथ रोजगार का मजबूत रक्षण और सुरक्षा शर्तों की बातचीत के बिना, कईं महिलाएँ अपने आप को उद्योग से निकासित पा सकती हैं।

आईटीएफ नियोक्ताओं और सरकारों से आह्वान करता है:

- तत्काल ही श्रमिकों को अनौपचारिक से औपचारिक अर्थव्यवस्था की तरफ पारगमन - आईएलओ सिफारिश 204 के अनुरूप।
- आय संरक्षण, स्वास्थ्य लाभ, गर्भावस्था और देखभाल की जिम्मेदारियों के लिए छुट्टी, इनकी सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करें।
- उद्योग में नए (औपचारिक) व्यवसायों में महिला कर्मचारियों को पुन: कौशल प्रदान करें।

लाभ से पहले देखभाल

इस संकट के कई पहलू हैं जिनका सामना महिलाओं को विशेष रूप से और/या असामान रूप से करना होगा, उदाहरण के लिए गर्भावस्था और मातृत्व जोखिमों के साथ-साथ अवैतनिक देखभाल की जिम्मेदारियां भी उठानी होंगी ।

आईटीएफ नियोक्ताओं और सरकारों से आह्वान करता है:

- महिलाओं पर अतिरिक्त देखभाल के बोझ को पहचानें और उनकी आय और नौकरियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाएं।
- गर्भवती महिलाओं और जन्म देने वाली माताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करें।
- निरंतरआय की सुरक्षा कार्य नियमों और शर्तों के अंतर्गत प्रदान करें जिसमें मातृत्व अवकाश शामिल हो।
- वैतनिक अस्वस्थ अवकाश एवं देखभालकर्ता के लिए अवकाश
- यह सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के कारण फंसी महिलाओं के लिए स्वच्छता प्रावधान और गर्भ निरोधक उपलब्ध हैं।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की समाप्ति

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा में %25 से अधिक की वृद्धि हुई है। यह आंकड़े उन देशों से हैं जहाँ रिपोर्टिंग प्रणाली मौजूद है।

बेरोजगारी, वित्तीय तनाव और असुरक्षा बढ़ने के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती रहेगी। आय में कमी से महिलाओं के लिए अपमानजनक स्थितियों से बचना कठिन हो जाएगा।

कार्यस्थल पर सामाजिक अलगाव के चलते महिलाएं खुद को हिंसा के खतरे में पाती हैं। ग्राहक-सामना करने वाली भूमिकाओं में कर्मचारियों को जनता से हिंसा का जोखिम बढ़ गया है। काम की कमी विशेषत: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए यौन जबरदस्ती के मौजूदा जोखिमों को बढ़ा रही है। अलगाव घरेलू हिंसा और संभावित प्रभावों को बढ़ा रहा है जिसमें हत्या और आत्महत्या शामिल हैं। और आर्थिक तनाव में क्षमता है कि वह उत्तरजीवी सहायता सेवाओं और अवसरों को प्रभावित करे।

आईटीएफ नियोक्ताओं और सरकारों से आह्वान करता है:

- सुरक्षित आवागमन के उपाय उपलब्ध कराएं।
- कर्मचारियों और सहयात्रियों के लिए सुरक्षा उपायों और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल को लागू करें।
- अभिपुष्टि और कार्यान्वित करें **आईएलओ हिंसा और उत्पीड़न सम्मेलन, नंबर 190**।
- लिंग आधारित हिंसा से संबंधित सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करें।
- स्वास्थ्य अधिकारियों, पुलिस, अदालतों और सामाजिक सेवाओं के बीच एक समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।
- लैंगिक हिंसा पर आधारित जागरूकता अभियान का प्रायोजन करें, जिसमें मिथक, कलंक और असल से कम रिपोर्टिंग शामिल हो।
- सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आश्रयों, हॉटलाइन और परामर्श सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएं ।

- दुर्व्यवहारियों के साथ रहने से बचने के लिए वैकल्पिक आवास की उपलब्धता बढ़ाएं।
- अधिकारियों को सचेत करने और बचे लोगों की सुरक्षा के लिए सुलभ प्रणाली लागू करें।

नई प्रौद्योगिकी से महिला कर्मचारियों को लाभ

परिवहन में महिलाओं की नौकरियां डिजिटलीकरण के प्रभावों की चपेट में आने की संभावना अधिक।

नियोक्ताओं और सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए:

- संकट के जवाब में लागू किए गए किसी भी उपाय, चाहे वह नई तकनीक की शुरुआत हो, स्वचालन या डिजिटलाइजेशन से लाभ होना चाहिए, न कि महिला कर्मचारियों को अपनी नौकरी गँवानी पडे।
- परिवहन में सभी नए तकनीकी विकास पर परामर्श में प्रमुख हितधारकों के रूप में यूनियन शामिल हो जिसमें लैंगिक प्रभाव का आकलन शामिल होना चाहिए।

लैंगिक प्रभाव का आकलन

यह मान्य है कि कोविड19- महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है, यह विचार प्रभावी और समान नीतियों और हस्तक्षेपों को बनाने के लिए मौलिक है। इससे महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

यह महत्वपूर्ण है कि लिंग-उत्तरदायी अनुसंधान कोविड19- के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर किया जाए, जिसमें कुछ पहलू जैसे संविदात्मक और प्रवासी स्थिति, जाति और विकलांगता का अध्यन हो। लिंग-विच्छेदित आंकड़ों को प्राप्त करना, जिसमें संक्रमण की बढ़ती दरें, आर्थिक प्रभाव, देखभाल के बोझ और यौन हिंसा और दुर्व्यवहार की घटनाओं सहित, यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि नीतियां, रणनीति और उपाय महिला परिवहन कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए साक्ष्य आधारित हैं।

लिंग-उत्तरदायी आर्थिक प्रोत्साहन

प्रोत्साहन पैकेज में निम्नलिखित का समावेश ज़रूर होनी चाहिये:

- लिंग प्रभाव आकलन और लिंग-उत्तरदायी मानदंड, सामाजिक संवाद के माध्यम से बनाया गया, संकट और पुन: प्रयोजन के जवाब में परियोजनाओं और ऋण कार्यक्रमों में वित्तपोषण।
- ऋण राहत बढ़ाएं, प्रतिबंधित न करें, स्वास्थ्य, शिक्षा, कम कार्बन अवसंरचना पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाएं।
- सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित और सभ्य नौकरियां, न्यायसंगत पहुंच और लैंगिक समानता प्रदान करें।

अधिक जानकारी के लिए, संपर्क करें:

women@itf.org.uk

#ITFWomen

#GenderEqualNewNormal

#ThisIsOurWorldToo

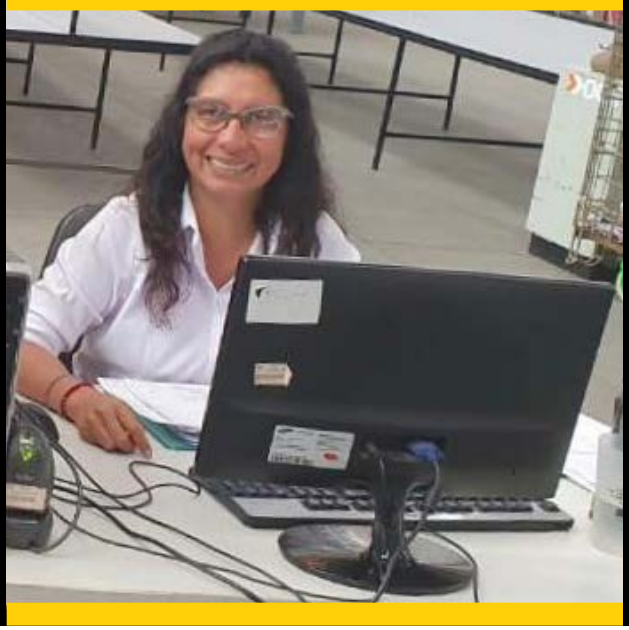

itf women transporting the world